

संख्या:-

/ 36-03-2020-34(सा0) / 2020

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

श्रम अनुभाग-3

लखनऊ ::

दिनांक :: 12 नवम्बर, 2020

विषय:- कोविड-19 के महासंकट के दौरान लॉकडाउन के कारण व्यापारिक एवं आर्थिक मंदी से जुझते हुए प्रदेश के व्यापारियों, दुकानदारों, एवं उद्यमियों को त्यौहारी सीजन के अवसर पर साप्ताहिक बंदी से छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम, 1962 की अधिसूचना संख्या-574(एलएल)/XXXVI(डी)-630(एलएल)-62 दिनांक 24 नवम्बर, 1966 के अनुसूची के क्रमांक-13 में निहित व्यवस्थानुसार कोविड-19 के महासंकट के दौरान लॉकडाउन के कारण आर्थिक मंदी के दृष्टिगत धनतेरस से कार्तिक पूर्णिमा तक साप्ताहिक बंदी से छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्रा)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या:-1474 (1)/36-03-2020 तददिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 2- श्रम आयुक्त, उ0प्र0 कानपुर।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0। (द्वारा श्रमायुक्त, उ0प्र0)
- 4- समस्त अपर/उप/सहायक/श्रम प्रवर्तन अधिकारी, उ0प्र0। (द्वारा श्रमायुक्त, उ0प्र0)
- 5- श्री रविकान्त गर्ग, (पूर्व मंत्री ऊर्जा/संस्थागत वित्त) अध्यक्ष, उ0प्र0 व्यापारी कल्याण बोर्ड, आठवाँ तल, जवाहर भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
विशेष सचिव।

कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी0टी0रोड, कानपुर।

पत्रांक 1760-1860 / प्रवर्तन-20

दिनांक:- 12 / 11 / 2020

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- (01) अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, श्रम अनुभाग-3, बापू भवन, लखनऊ को शासन के पत्र संख्या:1474(1)/36-03-2020-34(सा0)/2020, लखनऊ दिनांक: 12 नवम्बर,2020 के क्रम में।
- (02) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
- (03) समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित है कि वे अपने स्तर से समस्त सम्भागीय अधिकारियों को सूचित करने का कष्ट करें।
- (04) निदेशक कारखाना, उत्तर प्रदेश, मुख्यालय (उ0प्र0) को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने स्तर से समस्त सम्भागीय अधिकारियों को अवगत कराने का कष्ट करें।
- (05) श्री रविकान्त गर्ग (पूर्व मंत्री ऊर्जा/संस्थागत वित्त) अध्यक्ष, उ0प्र0 व्यापारी कल्याण बोर्ड, आठवों तलण जवाहर भवन, लखनऊ।
- (06) उप श्रमायुक्त, उ0प्र0 (कम्प्यूटर) मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट www.uplabour.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
- (07) श्रम आयुक्त, उ0प्र0 (शिविर)।
- (08) गार्ड फाईल।

(डी0के0 सिंह)

अपर श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश,
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।